

विनियोग संख्या 34 - ब्याज अदायगियां
APPROPRIATION No. 34 - INTEREST PAYMENTS

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित -	Charged-			
मूल	Original	272330,28,00		
पूरक	Supplementary	11904,32,00	284234,60,00	287182,18,33 +2947,58,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. विनियोग में, यद्यपि ₹1190432.00 लाख का पूरक विनियोग मार्च, 2012 में प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत विनियोग से ₹294758.33 लाख (वास्तविक अधिक व्यय ₹2947,58,33,405) अधिक हो गया। इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर नियमित किए जाने की आवश्यकता होती है।

1. In the appropriation, although supplementary appropriation of ₹1190432.00 lakhs was obtained in March, 2012, the expenditure exceeded the sanctioned appropriation by ₹294758.33 lakhs (actual excess was ₹2947,58,33,405). **The excess requires regularization by voting of Excess of Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुई :-

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2048"	Major Head "2048"			
ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोग	Appropriation for reduction or Avoidance of Debt			
मू.	O.	10000.00		
पु.	R.	-10000.00		
मुख्य शीर्ष "2049"	Major Head "2049"			
ब्याज अदायगियां	Interest Payments			
मू.	O.	27223028.00		
पू.	S.	1190432.00	28423460.00	28718218.33 +294758.33
पु.	R.	10000.00		

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) अधिक व्यय (₹642654.79 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के कारण हुआ जैसाकि मुख्य शीर्ष “2049” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1190432.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) “आंतरिक ऋण पर ब्याज” -

(क) “बाजार कर्जों पर ब्याज” - ₹ 302076.20 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹712615.10 लाख था।

(ख) “खजाना बिल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई संबद्ध प्रतिभूतियां - खजाना बिलों पर छूट - 91 दिवसीय खजाना बिल” - ₹205088.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹184560.35 लाख था।

(ग) “364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज” - ₹ 75344.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹ 75372.65 लाख था।

(घ) “अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज” - ₹17567.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1362.05 लाख था।

(ङ) “रोकड़ प्रबंधन बिल पर छूट” - ₹1088.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹ 1089.87 लाख था।

(खा) “बाह्य ऋण पर ब्याज - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से कर्ज पर ब्याज” - ₹3717.18 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹3742.66 लाख था।

(गा) “लघु बचत भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज - राज्य भविष्य निधि पर ब्याज - अन्य राज्य भविष्य निधियां” - ₹37494.41 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹35089.53 लाख था।

(घा) “अन्य देयताओं पर ब्याज - डाक जीवन बीमा के अंतर्गत शेष राशि के प्रतिभूतिकरण के स्थान पर जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज” - ₹ 280.00 लाख।

(I) The excess (₹642654.79 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary appropriation of ₹1190432.00 lakhs under Major Head “2049” - under the following heads:-

(A) “Interest on Internal Debt” -

(a) “Interest on Market Loans” - ₹302076.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹712615.10 lakhs.

(b) “Treasury bills and connected securities issued to Reserve Bank of India - Discount on Treasury Bills - 91 days Treasury Bills” - ₹205088.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹184560.35 lakhs.

(c) “Interest on 364 days Treasury Bills” - ₹75344.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹75372.65 lakhs.

(d) “Interest on Ways and Means Advances” - ₹17567.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1362.05 lakhs.

(e) “Discount on Cash Management Bill” - ₹1088.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1089.87 lakhs.

(B) “Interest on External Debt - Interest on Loans from International Development Association” - ₹3717.18 lakhs. Actual excess, however, was ₹3742.66 lakhs.

(C) “Interest on Small Savings Provident Funds etc.- Interest on State Provident Fund -Other State Provident Funds” - ₹37494.41 lakhs. Actual excess, however, was ₹35089.53 lakhs.

(D) “Interest on Other Obligations - Interest on Special Securities issued against securitization of balance under Postal Life Insurance” - ₹280.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष “2049” के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुआ :-

(का) “आंतरिक ऋण पर ब्याज - 1.4.99 से अल्प बचतों की निवल वसूलियों के बदले जारी की गई केंद्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज” - ₹ 11509.64 लाख का अधिक व्यय (₹371185.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) सरकारी प्रतिभूतियों में ज्यादा निवेश होने के कारण हुआ ।

(खा) “बाह्य ऋण पर ब्याज” -

(क) “फ्रांस की सरकार से कर्ज पर ब्याज” - ₹395.47 लाख का अधिक व्यय (₹3325.99 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ ;

(ख) “जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार से कर्ज पर ब्याज” - ₹3416.57 लाख का अधिक व्यय (₹11881.45 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ ;

(ग) “जापान की सरकार से कर्ज पर ब्याज” - ₹13924.27 लाख का अधिक व्यय (₹124277.37 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ ; और

(घ) “अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी, यूएसए से कर्ज पर ब्याज-यूएस. सहायता” - ₹235.66 लाख का अधिक व्यय (₹3775.30 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और

(ङ) “सोवियत संघ की सरकार से कर्ज पर ब्याज” - ₹ 4728.21 लाख का अधिक व्यय (₹ 23385.05 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ ;

अधिक व्यय उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत विनिमय दर में बदलाव होने के कारण हुआ ।

(गा) “अल्प बचत भविष्य निधियों आदि पर ब्याज” -

(II) Under Major Head “2049” – excess also occurred under the following heads:-

(A) “Interest on Internal Debt - Interest on Investment in Special Central Government Securities issued against net collections of small savings from 1.4.99” - excess of ₹11509.64 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹371185.00 lakhs) was due to more investment in Government Securities.

(B) “Interest on External Debt”-

(a) “Interest on Loans from the Government of France” - excess of ₹395.47 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹3325.99 lakhs);

(b) “Interest on Loans from the Government of Federal Republic of Germany” - excess of ₹3416.57 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹11881.45 lakhs);

(c) “Interest on Loans from the Government of Japan” - excess of ₹13924.27 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹124277.37 lakhs);

(d) “Interest on Loans from the Agency for International Development, USA - US Aid” - excess of ₹235.66 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹3775.30 lakhs); and

(e) “Interest on Loans from the Government of USSR” - excess of ₹4728.21 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹23385.05 lakhs).

Excess under the above five heads was due to exchange rate variation.

(C) “Interest on Small Savings Provident Funds etc.”-

- (क) “राज्य भविष्य निधि पर ब्याज - राज्य रेलवे भविष्य निधि” - ₹11073.47 लाखका अधिक व्यय (₹165439.38 लाख के स्वीकृत विनियोगकी तुलना में) निधि में ज्यादा अभिवृद्धि होने के कारण हुआ ।
- (ख) “विशेष जमा राशियों और लेखों पर ब्याज” -
- (i) “भविष्य अधिवर्षिता हितलाभ निधि की विशेष जमा राशि” - ₹187.00 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के पूरक विनियोग सहित ₹917795.00 लाखके कुल स्वीकृत विनियोगकी तुलना में) बैंकों द्वारा अधिक दावे किए जाने के कारण हुआ ।
- (ii) “ईपीएफ/ईडीएलआई की विशेष जमा राशियाँ” - ₹ 3014.84 लाखका अधिक व्यय (₹69135.71 लाख के स्वीकृत विनियोगकी तुलना में) ज्यादा ब्याज अदायगी के कारण हुआ ।
- (घा) “अन्य देयताओं पर ब्याज” -
- (क) “जमा राशियों पर ब्याज - राष्ट्रीय रक्षा निधि” - ₹146.49 लाखका अधिक व्यय (₹7159.26 लाखके स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में ज्यादा अभिवृद्धि होने के कारण हुआ।
- (ख) “विविध” -
- (i) “अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एस डी आर के उपयोग के लिए देय प्रभार” - ₹3559.09 लाखका अधिक व्यय (₹7481.19 लाखके स्वीकृत विनियोगकी तुलना में) विनियमदर में बदलाव होने और विशेष आहरण अधिकारों के निवल संचयी आबंटन के कारण हुआ ।
- (ii) “अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ नोट खरीद करार पर ब्याज” - ₹395.56 लाख का अधिक व्यय (शून्य विनियोगकी तुलना में) हुआ ; और
- (iii) “अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उधार के लिए नए करार पर ब्याज” - ₹ 1675.68 लाखका अधिक व्यय (शून्य विनियोगकी तुलना में) हुआ।
- (a) “Interest on State Provident Fund - State Railway Provident Fund”- excess of ₹11073.47 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹165439.38 lakhs) was due to more accretion to the fund.
- (b) “Interest on Special Deposits and Accounts”-
- (i) “Special Deposits of Provident Superannuation Gratuity Fund” - excess of ₹187.00 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹917795.00 lakhs including supplementary appropriation of ₹10000.00 lakhs) was due to more claims by banks.
- (ii) “Special Deposits of EPF/EDLI”- excess of ₹3014.84 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹69135.71 lakhs) was due to higher payment of interest.
- (D) “Interest on other Obligations” -
- (a) “Interest on Deposits - National Defence Fund”- excess of ₹146.49 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹7159.26 lakhs) was due to higher accretion to the fund.
- (b) “Miscellaneous” -
- (i) “Charges payable to IMF for utilization of SDRs”- excess of ₹3559.09 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹7481.19 lakhs) was due to exchange rate variation and net cumulative allocation of special drawing rights.
- (ii) “Interest on Note Purchase agreement with IMF”- excess of ₹395.56 lakhs (against nil appropriation); and
- (iii) “Interest on New Agreement to Borrow with IMF”- excess of ₹1675.68 lakhs (against nil appropriation).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत करार के अनुसार ब्याज अदायगी के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत वहां ₹82.34 लाख का अधिक व्यय हुआ जहां सम्पूर्ण व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया :-

(I) ₹110152.90 लाख का विनियोग चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से ₹109956.96 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष “2048” - “अन्य विनियोग- सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर प्रीमियम की अदायगी” - ₹10000.00 लाख सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद का मूर्त रूप न लेने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2049” -

(क) “आंतरिक ऋण पर ब्याज- बैंक में बाजार स्थिरीकरण जमा धनराशि पर अदा किया गया ब्याज/छूट” - ₹94648.00 लाख स्कीम शुरू न होने के कारण थे।

(ख) “आरक्षित निधियों पर ब्याज” -

(i) “मूल्यहास नवीकरणीय आरक्षित निधि पर ब्याज - रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि” - ₹434.00 लाख ;

(ii) “रेलवे विकास निधि पर ब्याज” - ₹ 492.00 लाख ; और

(iii) “सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज - रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज” - ₹3084.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कम अभिवृद्धि होने और निधि से ज्यादा आहरण होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Excess under the above two heads was due to payment of interest as per agreement.

(III) Under one head excess of ₹82.34 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Appropriation of ₹110152.90 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹109956.96 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2048” - “Other Appropriations - Payment of premium on buyback of Government Securities” - ₹10000.00 lakhs - due to non-materialisation of buyback of Government Securities.

(B) Major Head “2049”-

(a) “Interest on Internal Debt - Interest/Discount paid on Market Stabilisation Scheme Deposit of Money in the Bank” - ₹94648.00 lakhs - due to non-operationalisation of the scheme.

(b) “Interest on Reserve Funds”-

(i) “Interest on Depreciation Renewal Reserve Fund - Railway Depreciation Reserve Fund” - ₹434.00 lakhs;

(ii) “Interest on Railway Development Fund” - ₹492.00 lakhs; and

(iii) “Interest on General and Other Reserve Funds - Interest on Railway Capital Reserve Fund” - ₹3084.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to less accretion and more withdrawals from the fund.

- (ग) “अन्य देयताओं पर ब्याज - जमा राशियों पर ब्याज - कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि” - ₹1298.96 लाख 24.3.2009 से स्कीम बंद होने के कारण थे।
- (II) मुख्य शीर्ष “2049” - “आंतरिक ऋण पर ब्याज - 182 दिवसीय खजाना बिल” के अंतर्गत ₹176500.00 लाख के मूल विनियोग को ₹200000.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹376500.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो अधिकतम मूल्य को कम किए जाने के कारण ₹244.04 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (III) मुख्य शीर्ष “2049” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई :-
- (का) “आंतरिक ऋण पर ब्याज” -
- (क) “14 दिवसीय खजाना बिल पर ब्याज” - ₹110448.23 लाख की बचत (₹490000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा निवेशों को मध्यवर्ती खजाना बिलों का अंतरण नीलामी आधारित खजाना बिलों को किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “केंद्रीय/राज्य सरकारों को विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि के पुनः निवेश के बदले एन एस एस एफ को जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ” - ₹229036.42 लाख की बचत (₹969849.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) भारत सरकार प्रतिभूतियों में कम निवेश किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज - प्रतिपूर्ति और अन्य बांड” - ₹61910.81 लाख की बचत (₹422104.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) स्कीम धारकों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (घ) “ऋण प्रबंधन” - ₹1861.16 लाख की बचत (₹61020.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) भारतीय रिजर्व बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (c) “Interest on Other Obligations - Interest on Deposits - Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund” - ₹1298.96 lakhs - due to defunct status of the scheme w.e.f. 24.03.2009.
- (II) Under Major Head “2049” - “Interest on Internal Debt - Interest on 182 Days Treasury Bills” - the original appropriation of ₹176500.00 lakhs was augmented to ₹376500.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹200000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹244.04 lakhs - due to lowering of cut-off price.
- (III) Under Major Head “2049” - savings also occurred under the following heads:-
- (A) “Interest on Internal Debt” -
- (a) “Interest on 14 Day Treasury Bills” - saving of ₹110448.23 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹490000.00 lakhs) was due to shifting of investments from intermediate treasury bills to auction based treasury bills by the State Governments.
- (b) “Special GOI securities issued to NSSF against reinvestment of sums received on redemption of Special Central/State Governments’ Securities” - saving of ₹229036.42 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹969849.00 lakhs) was due to less investment in Government of India Securities.
- (c) “Interest on other Internal Debts - Compensation and other Bonds” - saving of ₹61910.81 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹422104.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the scheme holders.
- (d) “Management of Debt” - saving of ₹1861.16 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹61020.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Reserve Bank of India.

(खा) “बाह्य ऋण पर ब्याज” -

- (क) “अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से कर्ज पर ब्याज” - ₹109.38 लाख की बचत (₹1462.65 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;
- (ख) “आई बी आर डी से कर्ज पर ब्याज” - ₹25090.00 लाख की बचत (₹60091.81 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ;
- (ग) “ओपेक विशेष निधि से कर्ज पर ब्याज” - ₹125.59 लाख की बचत (₹275.88 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ; और
- (घ) “एशियाई विकास बैंक से कर्ज पर ब्याज” - ₹11833.75 लाख की बचत (₹35283.27 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत विनिमय दरों में बदलाव होने के कारण हुई ।

(गा) “अल्प बचत भविष्य निधियों आदि पर ब्याज” -

- (क) “राज्य भविष्य निधि पर ब्याज - सामान्य भविष्य निधि” - ₹30694.03 लाख की बचत (₹512651.87 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि को कम अभिवृद्धि होने के कारण हुई ।
- (ख) “बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज” -
- (i) “औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा निधि” - ₹40204.78 लाख की बचत (₹495364.78 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ;
- (ii) “केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम” - ₹1243.32 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ; और

(B) “Interest on External Debt” –

- (a) “Interest on Loans from International Fund for Agricultural Development” - saving of ₹109.38 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1462.65 lakhs);
- (b) “Interest on Loans from the IBRD” - saving of ₹25090.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹60091.81 lakhs);
- (c) “Interest on Loans from OPEC Special Fund” - saving of ₹125.59 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹275.88 lakhs); and
- (d) “Interest on Loans from Asian Development Bank” – saving of ₹11833.75 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹35283.27 lakhs).

Savings under the above four heads were due to exchange rate variation.

(C) “Interest on Small Savings Provident Funds etc.” –

- (a) “Interest on State Provident Fund – General Provident Fund” – saving of ₹30694.03 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹512651.87 lakhs) was due to less accretion to the fund.
- (b) “Interest on Insurance and Pension Funds” -
- (i) Family Pension-cum-life Assurance Funds for Industrial Workers” - saving of ₹40204.78 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹495364.78 lakhs);
- (ii) “Central Government Employees Group Insurance Scheme” - saving of ₹1243.32 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹35000.00 lakhs); and

(iii) “संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारी समूह बीमा स्कीम” - ₹161.16 लाख की बचत (₹1791.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ।

(iii) “Union Territory Government Employees Group Insurance Scheme” - saving of ₹161.16 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1791.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत निधि को कम अभिवृद्धि होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to less accretion to the fund.

(iv) “डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि” - ₹75262.41 लाख की बचत (₹174258.75 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम अदायगी किए जाने के कारण हुई ।

(iv) “Postal Insurance and Life Annuity Fund” - saving of ₹75262.41 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹174258.75 lakhs) was due to less payment.

(ग) “फील्ड जमा राशियों पर बोनस - भारत बैंकों की असंवितरित वेतन के लिए बोनस” - ₹16971.33 लाख की बचत (₹25344.80 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) भारतीय बैंकों के वेतन की कम अभिवृद्धि होने के कारण हुई।

(c) “Bonus on Field Deposits - Bonus for undischursed Pay of India Ranks”- saving of ₹16971.33 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹25344.80 lakhs) was due to less accretion of pay of India Ranks.

(घा) “आरक्षित निधियों पर ब्याज - सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज - रेलवे पेंशन निधि” - ₹1307.11 लाख की बचत (₹1336.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम अभिवृद्धि होने और निधि से ज्यादा आहरण किए जाने के कारण हुई।

(D) “Interest on Reserve Funds – Interest on General and Other Reserve Funds - Railway Pension Fund” - saving of ₹1307.11 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1336.00 lakhs) was due to less accretion and more withdrawals from the fund.

(ङ) “अन्य देयताओं पर ब्याज” - उर्वरक कंपनियों को जारी किए गए विशेष बांडों पर ब्याज”-

(E) “Interest on other Obligations - Interest on Special Bonds issued to Fertiliser Companies”-

(क) “7.95% उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष बांड 2026” - ₹320.40 लाख की बचत (₹28699.50 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ;

(a) “7.95% Fertiliser Companies GoI Special Bonds, 2026”- saving of ₹320.40 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹28699.50 lakhs);

(ख) “7.00% उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष बांड, 2022” - ₹18530.07 लाख की बचत (₹70000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ;

(b) “7.00% Fertiliser Companies GoI Special Bonds, 2022”- saving of ₹18530.07 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹70000.00 lakhs);

(ग) “6.20% उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष बांड, 2022” - ₹16909.34 लाख की बचत (₹24800.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ; और

(c) “6.20% Fertiliser Companies GoI Special Bonds, 2022”- saving of ₹16909.34 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹24800.00 lakhs); and

(घ) “6.65% उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष बांड, 2023” - ₹21233.17 लाख की बचत (₹39900.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को जारी किए गए विशेष बांडों की पुनर्खरीद न किए जाने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹51.76 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 52 प्रतिशत थी।

(d) “6.65% Fertiliser Companies GoI Special Bonds, 2023”- saving of ₹21233.17 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹39900.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non buy-back of special bonds issued to fertilizer companies.

(IV) Under one head saving of ₹51.76 lakhs occurred constituting 52 percent of the sanctioned appropriation.
